बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि० प्रा०(।।।) ब–05 / 2012– / पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0001–तकनीकी शिक्षा निदेशालय" (विपत्र कोड–N 2203000010001) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3033, दिनांक 29.12.2015 के द्वारा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के उपयोग हेतु विभागान्तर्गत एक निष्प्रायोजित एवं रद्दीकृत वाहन के स्थान पर एक नया वाहन TATA SAFARI STORM VX 4x2 (Euro IV) के क्रय हेतु रू0 14,63,000=00 (चौदह लाख तीरसठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि की अग्रिम निकासी कर अधिकृत विक्रेता को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 51 01 मोटरगाड़ी विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से रू0 14,63,000=00 (चौदह लाख तीरसठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 / वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 10471, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षो का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश / आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक– 280 / वि0 दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/ –

(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

ज्ञापांक वि0 प्रा0(।।।) ब–05/2012 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

अपर सचिव,

ज्ञापांक – वि0 प्रा0(।।।) ब–05/2012 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

अपर सचिव,

ज्ञापांक – वि0 प्रा0(।।।) ब–05/2012 41(अ0) /पटना, दिनांक– 4-1-2016

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/15

अपर सचिव,

31/12/15